

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/वि.अ.छात्रवृत्ति/81/2017-18/23209
--:आदेश:--

भोपाल, दिनांक 12/9/17

विषयांतर्गत विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वि.आ./140/2017-18/20576-77 दिनांक 1.8.2017 द्वारा गठित विभागीय "संवीक्षा और चयन" समिति की बैठक 16.8.17 में समिति द्वारा अनुशंसा अनुसार निम्न अभ्यर्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाता है:-

1. श्री विक्रम सिंह धुर्वे पिता श्री रमेश प्रसाद धुर्वे
2. श्री रवि मेढ़ा पिता श्री दिनेश मेढ़ा
3. कु0 मोनिका सोलंकी पिता श्री हर्ष सिंह सोलंकी
4. श्री जुवान सिंह चौहान पिता श्री ए.एल.सिंह चौहान
5. श्री मनोज वास्कल पिता श्री केसर सिंह वास्कल
6. श्री यावेश टोप्पो पिता श्री जेरो मगन टोप्पो
7. श्री नितिन तांडिया पिता श्री गेंदलाल तांडिया
8. श्री प्रेषित निनावे पिता श्री विधिहल निनावे
9. श्री जोयस दयाल पिता श्री राजेन्द्र दयाल
10. श्री राहुल राज श्री बी.एस.राज

उक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करने पर ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

- (1) विदेश जाने संबंधी पात्रता हेतु आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने की शर्त पूर्ण करेगा, चयनित अभ्यर्थी द्वारा विदेश में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेकर, विदेश यात्रा की अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत सूचित करेगा।
- (2) विदेश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु संबंधी संस्था द्वारा दी गई सहमति/चयन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) चयन सूचना जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक की समयावधि में ही अभ्यर्थी को संबंधित शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने पर विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।


आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ०क०/वि.अ.छात्रवृत्ति/81/2017-18/23210

भोपाल, दिनांक 12/9/17

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण -----(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री/कु०-----पिता श्री-----
----- (म.प्र.) की ओर प्रवेश संबंधी आवश्यक औचारिकतायें पूर्ण कर अवगत करावें।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश